

न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा

मु.नं. 53 तारीख रजू. 15-1-19 तारीख निर्णय 31-1-19

आज पत्रावली व मुकाम तलावड़ा पेश हुई गैर सायल उपस्थित है/नहीं है

रिपोर्ट पटवारी ग्राम गुणकरी मीना प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल

श्री अमर सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा जाति मारवाड़ी

निवासी गुणकरी मीना द्वारा आराजी खसरा नं. 101 रकवा 0.10

किस्म जमीन चण्डिका पर मौजा गुणकरी मीना पर सम्वत् 2077

में अतिक्रमण का काश्त कब्जा कर लिया है। गैर सायल को नियमानुसार धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम सन् 1956 संशोधित दिनांक 2/10/1975 के तहत नोटिस जारी बाद तामील शामिल किया गया। अतिक्रमी बाबजूद तामील के भी हाजिर नहीं हैं। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतिक्रमी हाजिर है उसने कोई जबाब व सबूत पेश नहीं किया है अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा काश्त किया है उसको अतिक्रमी करार दिया जाता है।

अतः गैर सायल श्री अमर सिंह की आरजी खसरा नं. 101

रकवा 0.10 मौजा गुणकरी मीना से बेदखल किया जाता है लगान

दर 8 रु० से उक्त रकवा के लगान 0.85 का 50

गुना से शास्ति 43 कायम की जाती है। बेदखली हेतु पटवारी को

लिखा जावे तथा आई.एल.आर. को आदेश जारी हो कि उक्त रकवे की खड़ी फसल को जब्त करे नीलामी कार्यवाही करें एवं फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति पेश करें तथा राजस्व लेखाकार व पटवारी को जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर ही निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

इजलास 'ब' के पृष्ठ सं. 22

या नम्बर राशि 43 दि. 1-2-19 का कायम किया

तहसील लेखाकार

नायब तहसीलदार तहसील तलावड़ा